संस्था परिचय :–

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति की स्थापना सन् 1996 में महिलाओं के सशक्तिकरण उत्थान, हरिजनों के हित में सरकार द्वारा पारित नये कानूनो की जानकारी देने तथा उनके हितों की रक्षा करने,पारिवारिक न्यायालयों के बारे में जानकारी देने निराश्रितों वृद्वों के लिए वृद्व निवासों का निर्माण करने, पर्वतीय क्षेत्र की संस्कृति कला इतिहास का संवर्धन तथा विकास करने तथा ग्रामीणों से कच्चा माल लेकर उन्हें प्रशिक्षण देंकर रोजगार के साधन जुटाने तथा स्वास्थ्य प्रारम्भिक शिक्षा एवं स्वच्छता तथा विकलांग व्यक्तिओं को समाज की मुख्य धारा से जोडने के उद्देश्य से की गई। तथा संस्था द्वारा अपने स्त्रोतों से 1997 से 1998 में 10 ग्रामों में बॉलवाडी केन्द्रों की स्थापना की गई,तथा संस्था द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम चलाये गये संस्था द्वारा 1998 से 1999 में 10 स्वयं सहायता समूह का गठन करके बैंक से लिंकेज करवाया गया। 1999 से 2000 में बीस ग्रामों में बॉलवाडी कार्यक्रम चलाये गये, विकलांगता उन्मूलन कार्यक्रम चलाये गये तथा 40 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें बैंक से लिंकेज करवाया गया। तथा स्वच्छता कार्यक्रम चलाये गये।

संस्था द्वारा 1996 से 2000 तक जो भी कार्यक्रम चलाये गये वह अपने स्त्रोतों से चलाये गये तथा उसके पश्चात आवश्यकता महसूस होने पर सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत 1999 में संस्था का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात 2000-2001 में यूनिसेफ योजना के अंतर्गत संस्था द्वारा विभिन्न गांवों में 100 वरसाती टैंकों व 500 सस्ते शौचालयों का निर्माण किया गया संस्था के पास अनुभवी कार्यकर्ता हैं इसी उद्देश्यों से संस्था द्वारा महिलाओं के उत्थान व उनके सशक्तिकरण हेतु स्व शक्ति, इन्दिरा महिला विकास परियोजना, आजीविका परियोजना आदि में कार्य किया गया, साथ ही किशोंरियों को जीवन कौशल, स्वास्थ्य व बेहतर शिक्षा हेतु किशोरी उत्थान परियोजना में कार्य किया गया व वर्तमान में महिला पुरूष अनुपात में निरंतर गिरावट, जो कि भविष्य में और भी असंतुलन कायम कर सकता है उसके लिए, प्लान इन्डिया व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के सहयोग से समाज को जागरूकता करने हेतु कन्या भूण हत्या निवारण परियोजना कोपल चलाई गई। साथ ही महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने व उन्हें आजीविका से जोडने हेतु टिहरी के ब्लॉक प्रतापनगर में आजीविका परियोजना चलाई जा रही है। संस्था द्वारा सन् 2007–08 में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जो कार्य किये गये उनका विवरण निम्न प्रकार है।

xzkeh.k {ks= fodkl lfefr

(jkM+l) jkuhpkSjh]fVgjh x<+oky

Annual - Report

Year-2007-2008

irk%& iksLV cSx uEcj&06]jkuhpkSjh
fVgjh x<+oky]mRrjk[k.M+ A
nqjHkk"k%& **01376-252229(O)252404,252206**

Email- radsgramin@yahoo.co.in

lLFkk xkeh.k {k= fodkl lfefr jkuhpkjh }kjk 2007&08 e pykbl xbl ifj;ktuk;l o dk;lde

1— कन्या भ्रूण हत्या निवारण परियोजना, कोंपल
2— किशोरी उत्थान परियोजना।
3— सड़क सुरक्षा योजना
4—ड्राइवरों हेतु रिफ्रेसर कोर्स
5—सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम।
6-अनुसूचित जाति बाहुल्य परियोजना।
7—हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना।
8—जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र,नई टिहरी।
9— एडिप परियोजना के अंतर्गत विकलांगों को कृत्रिम उपकरणों का वितरण
10— ग्रामीण निर्मिति केन्द्र।
11—इन्दिरा महिला समेकित विकास परियोजना।
12—बहरेपन की रोकथाम हेतु कार्यक्रम।
13— स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
14— संस्था द्वारा स्थापित राड्स प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन
15—समविकास परियोजना के अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा किये गये कार्यो का मूल्यांकन।
16—जल संस्थान,व स्वजल परियोजना के अंतर्गत स्वैप परियोजना में कार्य।
17—सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा National Accident Relief Servoce Scheme के तहत एम्बूलैंस का आबंटन।

dU;k Hkw.k gR;k fuokj.k ifj;ktuk

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल, द्वारा कन्या भ्रूण हत्या निवारण परियोजना के अंतर्गत 01/10/2005 को प्लान इन्डिया के सहयोग से श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनीसैण से कन्या भ्रूण हत्या निवारण परियोजना कार्यक्रम चलाने हेतु अनुबंध किया गया कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न है ।

1— समाज में कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाना।
2— देश में महिला व पुरूष लिंगानुपात के अंतर को रोकने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
3— जन्म मृत्यु पंजीकरण का महत्व व पंजीकरण करवाना।

कन्या भ्रूण हत्या हेतु संस्था के द्वारा निम्न कार्यक्रम सम्पादित किये गयेः—

d- l-	dk;lde dk uke	dly dk;lde	mifLFkr lnL;
1—	जिला स्तरीय संवेदनशील कार्यशाला	01	जिला स्तरीय अधिकारी,स्वयं सहायता समूह के सदस्य,पत्रकार
2—	जिला स्तरीय सहमिलन कार्यक्रम	04	ब्लाक समन्वयक,मोटीबेटर,संस्था स्टाफ
3—	छमाही सहमिलन कार्यक्रम	02	स्टैक होल्डर,मोटीबेटर,समन्वयक
4—	जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक	12	संस्था स्टाफ,मोटीबेटर व समन्वयक

5—	त्रैमासिक पी0एन0डी0टी0कमेटी की बैठक	04	पीएनडीटी कमेटी के सदस्य
6—	पंचायत सेवकों हेतु एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला	01	पंचायत सेवक
7—	पंचायत प्रतिनिधियों व आंगनवाडी कार्यकर्ताओं हेतु कार्यशाला	02	आंगनवाडी कार्यकर्ता व पंचायत प्रतिनिधि
8—	नुक्कड नाटक	15	टाम जनता
9—	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	01	स्वयं सहायता समूह की महिलायें
10	जन्म मृत्यु पंजीकरण कैम्प	20	पंजीकरण कराने वाले व ब्लॉक प्रतिनिधि
11—	जिला स्तरीय रैली का आयोजन	01	जनमानस व स्वयं सहायता समूह के सदस्य।
12—	ब्लाक स्तरीय रैली का आयोजन	01	जनमानस व स्वयं सहायता समूह के सदस्य
13—	बेबी शो का आयोजन	02	स्वस्थ बालिका व उनके अभिभावक
14—	युवाओं हेतु क्षमता निर्माण कार्यशाला	02	युवक मंगल दल के सदस्य
15—	जिला स्तरीय कॉलेज सेमीनार	02	कॉलेज के विघार्थी
16—	ग्रुपलीडर हेतु कार्यशाला का आयोजन	02	स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि,व युवक व महिला मंगल दल प्रतिनिधि

fd kkjh mRFkku ifj;ktukA

किशोरी उत्थान परियोजना वर्तमान वर्ष मे टिहरी जनपद के ब्लॉक नरेन्द्रनगर में विश्व खाद्य कार्यक्रम व हिमालयन इन्स्टीट्यूट व महिला बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से चलायी गई।

परियोजना के उद्देश्य निम्नवत् हैं–

1— किशोरियों को स्वास्थ्य पोशण की जानकारी देना।

2— किशोरियों को जीवन पोशक व भविश्य निर्माण के प्रति जागरूक करना।

3— किशोरियों को कैरियर कॉउन्सलिंग की जानकारी देना।

dl-	dk;de dk uke	dy dk;de	mifLFkr lnL;
1.	किशोरी समूह की सखियों हेतु 10	2	किशोरी समूह की सखियां

	दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण		
2.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण	1	आंगनबाडी सुपरवाईजर व कार्यकत्री
3.	मास्टर टेनर हेतु दो दिवसीय रिर्फेशर प्रशिक्षण	1	किशोरी समूह की सखियां
4.	सामुदायिक सवेदिकरण बैठक	48	किशोरी समूह के अभिभावक
5.	ब्लॉक स्तर पर किशोरी संसाधन केन्द्र की स्थापना	1	किशोरियों से सम्बन्धित स्वास्थ्य पोषण जीवन कौशल से सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध होते हैं।
6.	नुक्कड़ नाटक	15	समुदाय के लोग

उपरोक्त कार्यक्रम संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा ब्लॉक नरेन्द्रनगर में किशोरी उत्थान परियोजना के अन्तर्गत सखियों का मास्टर ट्रेनर के रूप में 10 दिवसीय आवास आगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दो दिवसीय व किशोरियों हेतु दो दिवसीय रिफ्रेसर कोर्स का आयोजन राड्स प्रशिक्षण केन्द्र रानीचौरी व ब्लॉक नरेन्द्रनगर में कराया गया।

यह प्रशिक्षण संस्था के मास्टर ट्रेनर सुविदया जुगरान व श्रीमती रजनी ध्यानी द्वारा दिया गया। इस प्रशिक्षण में सभी महत्वपूर्ण बिषयों पर समय सारणी के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान ही सखियों व ऑगनवाडी कार्यकत्रियो ने अनेक बीसीसी गतिविधियां भी की जैसे– नारे लेखन, गधांश लेखन, विभिन्न विषयों पर गाना लेखन नुक्कड नाटिका, पोस्टर, स्वास्थय भाषण तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा एक प्रश्न एवं सुझाव पेटिका भी बनाई जिसमें सखियों ने अपनी–अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु अनेक प्रश्न उस पेटिका में डाले गये। जिसका करीबन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया ।

किशोरी बालिकाओं ने प्रशिक्षण के अन्तर्गत अपनी–अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी कला का प्रदर्शन किया तथा एक दूसरे से विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा उन विचारों को भी व्यक्त किया जिन्हे कहने या व्यक्त करने का मौका उन्हें अभी तक नहीं मिला था।

प्रशिक्षण के चलतें अनेक अवसरों पर किशोरियों को फोटोग्राफी व विडियोग्राफी भी करायी गयी। प्रशिक्षण में किशोरियों को क्षेत्र भ्रमण भी कराया गया जिसमें आय वर्धक गतिविधियों व स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गयी।

4. किन प्रशिक्षण बिषयों में प्रतिभागियों ने रूचि लीः–

प्रशिक्षण में रूचिकर बिषय निम्ललिखित हैः–

1– किशोर अवस्था में परिवर्तन

2– प्रभावी संचार

3– जीवन लक्ष्य; रिग टोंस खेल,

4– मानव संरचना से सम्बन्धित खेल

5– गर्भपात

6– ANC,PNC

7– MTP

8– HIV AIDS

9– लिंग निर्धारण गर्भधारण

10– मासिक चक्र, सुरक्षित व असुरक्षित दिल

11– परिवार नियोजन

5. कौन से बिषय जो प्रशिक्षण में नहीं थेः– प्रशिक्षण में आये प्रतिभागियों का सुझाव था कि इस प्रशिक्षण के साथ–साथ हमें कुछ अन्य प्रशिक्षण आय गतिविधियों सम्बन्धी भी दिया जाना चाहिऐ था जिसमें बेकार वस्तुओं के इस्तेमाल तथा पेन्टिंग आदि दिया जाना चाहिये था।
6. क्या प्रशिक्षण बिषय पर्याप्त थेः– प्रशिक्षण विषय पर्याप्त मात्रा में लाभदायक थे।
7. क्या प्रशिक्षण मोडयूल किट लाभदायक थे व सहभागीय थे? यदि नहीं तो सुझाव :–

   प्रशिक्षण किट पूर्ण रूपेण लाभदायक थी।
8. प्रतिभागियों के फीड़ बैक क्या रहे :–

   निकट भविष्य में जो भी प्रशिक्षण इस परियोजना के अन्तर्गत हों वह अधिक दिनों का नहीं होना चाहिये। सभी सखियों के यह मानना था कि समय–समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण सभी सदस्यों के लिऐ आयोजित किये जाने चाहिये। जिसके माध्यम से उनके आत्मविश्वास में वृद्वि हो। इस प्रशिक्षण की अच्छाइयों को बताते हुऐ उन्होने कहा कि इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अपनी उन प्रतिभावों के बारे में जानकारी हुयी जो उनके अन्दर छुपी हुयी थी। प्रशिक्षण से उनके आत्म विश्वास में वृद्वि हुयी जो कि उन्हें मंच पर या एक से अधिक सखियों के सामने अपने विचार व्यक्त करने के माध्यम से हुयी।

9 आंगनवाडी कार्यकत्रियों का कहना था कि इस प्रशिक्षण से हमारी सोच में बदलाव आया है हमने अपनी भूमिका को पहचाना है।

uDdM ukVd

समुदाय को किशोरियों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु विभिन्न स्थानों पर नुक्कड नाटकों का आयोजन किया गया। जिसमें किशोरियों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, व अन्य सामाजिक कुरीतियों पर नुक्कड नाटकों का प्रस्तुतीकरण किया गया जिससे कि समाज की सोच में नया परिवर्तन आये व साथ ही किशोरी शिक्षा का महत्व क्या है जिससे कि उनके विकास के साथ – साथ समाज में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके ।

fd kkjh l lk/ku dUn

किशोरी संसाधन केन्द्र किशोरियों के जीवन कौशल के साथ–साथ उनके स्वास्थ्य व पोषण व भविष्य में उनके मार्गदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता हैं व परियोजना की समाप्ति के बाद भी किशोरियों को किशोरी संसाधन केन्द्र से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी।

जहां पर किशोरियां कभी भी जाकर किशोरी संसाधन केन्द्र से किसी भी व्यवसाय,नौकरी स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

किशोरी उत्थान परियोजना से ब्लाक नरेन्द्रनगर में किशोरियों के जो समूह गठित किये गये है, उनकी माह में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं व उपरोक्त कार्यक्रम से किशोरियों में नई चेतना आई है व निश्चित रूप से यह कार्यक्रम उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा।

lM+d lqj{kk ;kstuk

uqDdM+ ukVd

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, रानीचौरी टि0 ग0 द्वारा सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत नियमों व कानूनों के प्रति जागरूक करने हेतु टिहरी जनपद के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक किये गये व संस्था द्वारा अनुभव किया गया कि जागरूकता लाने हेतू नुक्कड़ नाटक एक सही माध्यम है संस्था द्वारा विभिन्न स्थानों पर किये गये नुक्कड़ नाटकों का विवरण निम्न प्रकार से है।

xzke Lrjh; uqDdM+ ukVd

Ø0 l0	fnukad	LFkku	izfrHkkxh	fo'k;
1	25/01/08	किरगणी	220	शराब पीकर वाहन न चलायें।
2	26/01/08	धारकोट	206	सदैव स्पीड ब्रेकर आने पर स्पीड स्लो करें।
3	27/01/08	कोटीगाड़	200	कोहरा हो जाने पर सदैव फ्लड लाईट का प्रयोग करें।
4	28/01/07	जुगड़ गांव	160	अधिक रात होने पर ड्राइविंग न करें। व ड्राइवर की नींद हमेंशा पूरी होने दें।
5	29/01/08	हडम	210	क्षमता से अधिक सवॉरियों को न बिठाने के सम्बन्ध में।
6	30/01/08	जड़ीपानी सौड़	197	दोपहिया वाहनों में दो से अधिक सवारी न करें।
7	31/01/08	कखवाड़ी	230	मोड़ों पर हार्न बजायें।
8	01/02/08	चोपड़ियाली गांव	139	कच्ची सड़क पर अधिक माल (Over Load) न करें।
9	02/02/08	सिलकोटी	270	मोड़ों पर ओवर टेक न करें।
10	03/02/08	काण्डीखाल	210	चढ़ती हुयी गाड़ी को पहले रास्ता दें।
11	04/02/08	जगधार	256	छोटे वाहनों जैसे–बाईक स्कूटर पर कभी भी फुलावटी अथवा ज्यादा वजन का सामान न लादें।
12	05/02/08	साबली	267	रेलवे ट्रैक पर सदैव दांयें–बांयें देखें।

13	06/02/08	सौन्दकोटी	275	सड़क पार करते समय सदैव दांयें अथवा बायें देखें। तथा Zebra Cross Line का प्रयोग करें।
14	07/02/08	केमवाल गांव	150	ड्राइवरों के कर्तव्य क्या–क्या हैं।
15	08/02/08	कोटद्वारा	180	ड्राइवरों के द्वारा कर्तव्य का पालन न करने पर मुख्य धारायें लागू ।
16	09/02/08	कण्डाखोली	190	यात्रियों के कर्तव्य
17	10/02/08	पुरूसोल गांव	206	बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाना अपराध है।
18	11/02/08	नैल	196	शराब पीकर वाहन न चलायें।
19	12/02/08	मज्यूड़ और जाख में	198	मोटर दुर्घटना होने पर क्या साबधानियां बरतनी चाहिए।
20	12/02/08	जाख	210	शराब पीकर वाहन न चलायें।
21	13/02/08	हंसवाणगांव	180	क्षमता से अधिक सवारियों न बिठाने के सम्बन्ध में।
22	13/02/08	जसपुर	176	बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाना अपराध है।
23	14/02/08	बागी	180	मोटर दुर्घटना में मृतक के परिवार को 50 हजार रू0 की अंतरिम राशि पाने का अधिकार
24	14/02/08	कुठ्ठा	150	बिना लाइसेंस के मोटर वाहन चलाना अपराध है।
25	15/02/08	पाटा	198	किसी न किसी गलती से मोटर का दुर्घटना ग्रस्त होना ।
26	15/02/08	केमसारी	146	लोक अदालत से मोटर दुर्घटना दावों का सुलह द्वारा निस्तारण
27	16/02/08	पिपली	210	सड़क पार करते समय सदैव दांयें अथवा बायें देखें। तथा Zebra Cross Line का प्रयोग करें।
28	16/02/08	पिपली और महर गांव	230	ड्राइवर के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।
29	17/02/08	गंवालगांव	187	लोक अदालत से मोटर दुर्घटना दावों का सुलह द्वारा निस्तारण
30	17/02/08	ग्वाड़	204	मोटर दुर्घटना में मृतक के परिवार को 50 हजार रू0 की अंतरिम राशि पाने का अधिकार
31	18/02/08	डाबरी	187	मोटर वाहन मालिक के कर्तव्य
32	18/02/08	नकोट	210	कुहरा छा जाने पर सदैव फ्लड लाईट का प्रयोग करें।
33	19/02/08	बेरगनी	209	शराब पीकर वाहन न चलायें।
34	19/02/08	सैलूर	198	गाड़ी के कण्डक्टर को भी लाइसेंस की जरूरत
35	20/02/08	काण्डीखाल	212	कुहरा छा जाने पर सदैव फ्लड लाईट का प्रयोग करें।
36	20/02/08	कलेथ	210	चढ़ती हुयी गाड़ी को पहले रास्ता दें।

37	21/02/08	गुणेथ	212	ड्राइवर के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।
38	22/02/08	चुरेड़धार	195	कच्ची सड़क पर अधिक माल ;Over Load) न करें।
39	23/02/08	बालमा	186	गाड़ी के कण्डक्टर को भी लाइसेंस की जरूरत
40	23/02/08	देवरी	156	कच्ची सड़क पर अधिक माल (Over Load) न करें।
41	24/02/08	रामगांव	212	सड़क पार करते समय सदैव दांयें अथवा बायें देखें।तथा Zebra Cross Line का प्रयोग करें।
42	24/02/08	जुलक	203	किसी न किसी गलती से मोटर का दुर्घटना ग्रस्त होना ।
43	25/02/08	न्खान	140	प्रत्येक मोटर वाहन का पंजीकृत होना परम आवश्यक है।
44	25/02/08	काणाताल	212	किसी न किसी गलती से मोटर का दुर्घटना ग्रस्त होना ।
45	26/02/08	जौलंगी	210	न्यायालय में पीटासीन दायर करने से पहले कौन–कौन से कागजातों का होना आवश्यक है।
46	26/02/08	गज्जा	198	प्रत्येक मोटर वाहन का पंजीकृत होना परम आवश्यक है।
47	27/02/08	थौलियाणी	210	चढ़ती हुयी गाड़ी को पहले रास्ता दें।
48	27/02/08	सुदाड़ा	187	सड़क पार करते समय सदैव दांयें अथवा बांये देखें। तथा Zebra Cross Line का प्रयोग करें।
49	28/02/08	पाली	189	किसी न किसी गलती से मोटर का दुर्घटना ग्रस्त होना ।
50	28/02/08	स्यूटा	210	शराब पीकर वाहन न चलायें।

xkf"B;k dk vk;ktu

सडक सुरक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सडक सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु गोष्ठियों के आयोजन हेतु संस्था को कहा गया था संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति द्वारा लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने हेतु गोष्ठियों का आयोजन गांव स्तर पर किया गया संस्था जनपद टिहरी के 100 स्थानों पर सडक सुरक्षा योजना के अंतर्गत गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

i'ukRrjh@fucU/k ifr;kfxrkvk dk vk;ktu

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति द्वारा स्कूल के बच्चों में सडक सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने हेतु ब्लॉक चम्बा, थौलधार व नरेन्द्रनगर के कॉलेजो व स्कूलों में निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ताकि स्कूली बच्चे प्रारम्भ से ही सडक सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। संस्था द्वारा विभिन्न तिथियों को निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम,द्वितीय व तृतीय स्थान पर पुरूस्कार प्रदान किया गया।

i'ukRrjh o fucU/k ifr;kfxrk e[; fo"k;k ij vk;kftr

1- {kerk l vf/kd lokfj;k fcBku ij okgu pkyd rFkk lokfj;k dk gkuh okyh gkfu;k %&

सड़क सुरक्षा के नियमों को मध्ये नजर रखते हुये क्षमता से अधिक सवारिया बिठाने पर वाहन चालक तथा सवारियों को क्या–क्या हानियां हो सकती हैं पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 240 बच्चों ने भाग लिया।

2- QyM ykbV dk i;kx %&

सड़क सुरक्षा नियमों के तहत फ्लड लाईट के प्रयोग के बारे में चर्चा की गई तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालने को कहा गया प्रतियोगिता में लगभग 150 बच्चों u Hkkx fy;kA

3- gyeV rFkk lhV cYV dk i;kx %&

हैलमेट तथा सीट बेल्ट के प्रयोग नामक शीर्षक पर निबन्ध प्रतियोगिता कराई गयी। जिसमें लगभग 160 लड़कियों ने भाग लिया।

4- QV&o f?kl Vk;jk l gku okyh gkfu;k %&

सड़क सुरक्षा नियमों के तहत फटे–व घिसे टायरों से होने वाली हानियों के बारे में पूछा गया जिसमें लगभग 157 बच्चों ने भाग लिया।

5- pkyd d{k e {kerk l vf/kd lokfj;k fcBku l n?kVukvk e of} %&

सड़क सुरक्षा नियमों के तहत चालक कक्ष में क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने से क्या दुर्घटनायें हो सकती हैं नामक शीर्षक दिया गया जिसमें लगभग 146 बच्चों ने भाग लिया।

6- ekMk ij gku nuk D;k vko ;d g %&

सड़क सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत मोड़ों पर हार्न देना क्यों आवश्यक है नामक शीर्षक है पर प्रतियोगिता का आयोजन करने को कहा गया। जिसमें लगभग 263 बच्चों ने भाग लिया।

7- "kjkc o Mkbfox ,d lkFk %&

सड़क सुरक्षा नियमों के तहत शराब व ड्राइविंग एक साथ नहीं नामक शीर्षक पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 256 बच्चों ने भाग लिया।

8- nkb vkj l vkoj Vd dj %&

सड़क सुरक्षा नियमों के तहत दांई ओर से ओवर टेक करें के बारे में पूछा गया जिसमें लगभग 152 बच्चों ने भाग लिया।

9- cPpk dk lMd ij u [kyu n %&

सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों को सड़क पर न खेलने दें नामक शीर्षक पर निबन्ध लिखने को कहा गया जिसमें लगभग 224 बच्चों ने भाग लिया।

10- <yku ij p<rh g;h xkMh dk igy jkLrk n %&

सड़क सुरक्षा के नियमों को मध्ये नजर रखते हुये ढलान पर चढ़ती हुयी गाड़ी को पहले रास्ता दें नामक शीर्षक पर चर्चा की गयी। प्रतियोगिता में लगभग 139 बच्चों ने भाग लिया।

11- lokjh xkMh eky u <k;s %&

सड़क सुरक्षा नियमों के तहत सवारी गाड़ी माल न ढोये नामक शीर्षक पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 128 बच्चों ने भाग लिया।

12- LobPNk ls lMd lqj{kk ds fo"k; ij ppk %&

सड़क सुरक्षा नियमों के तहत स्वइच्छा से सड़क सुरक्षा के किसी भी नियम पर चर्चा करने को कहा गया जिसमें प्रतियोगिता में लगभग 205 बच्चों ने भाग लिया।

13- "kjkc ihdj okgu u pykus %&

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति द्वारा सड़क सुरक्षा परियोजना के अन्तर्गत शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है के विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

lMd lqj{kk ds vUrxr in;k=k dk vk;kstu

संस्था द्वारा विभिन्न तिथियों को पदयात्रा का आयोजन किया गया।

Ø0 l0	fnukd	LFkku	ifrHkkxh			
1	25/01/08	किरगणी	220	15/02/08	पाटा	146
2	26/01/08	धारकोट	206	15/02/08	केमसारी	210
3	27/01/08	कोटीगाड़	200	16/02/08	पिपली	230
4	28/01/07	जुगड़ गांव	160	16/02/08	पिपली और महर गांव	187
5	29/01/08	हडम	210	17/02/08	गंवालगांव	204
6	30/01/08	जड़ीपानी सौड़	197	17/02/08	ग्वाड़	187
7	31/01/08	क्खवाड़ी	230	18/02/08	डाबरी	210
8	01/02/08	चोपड़ियाली गांव	139	18/02/08	नकोट	209
9	02/02/08	सिलकोटी	270	19/02/08	बेरगनी	198
10	03/02/08	काण्डीखाल	210	19/02/08	सैलूर	212
11	04/02/08	जगधार	256	20/02/08	काण्डीखाल	210
12	05/02/08	साबली	267	20/02/08	कलेथ	212
13	06/02/08	सौन्दकोटी	275	21/02/08	गुणेथ	195
14	07/02/08	केमवाल गांव	150	22/02/08	चुरेड़धार	186
15	08/02/08	कोटद्वारा	180	23/02/08	बालमा	156
16	09/02/08	कण्डाखोली	190	23/02/08	देवरी	212

17	10/02/08	पुरूसोल गांव	206	24/02/08	रामगांव	203
18	11/02/08	नैल	196	24/02/08	ज़ुलक	140
19	12/02/08	मज्यूड़ और जाख में	198	25/02/08	न्खान	212
20	12/02/08	जाख	210	25/02/08	काणाताल	210
21	13/02/08	हंसवाणगांव	180	26/02/08	जौलंगी	198
22	13/02/08	जसपुर	176	26/02/08	गज्जा	210
23	14/02/08	बागी	180	27/02/08	घौलियाणी	187
24	14/02/08	कुठ्ठा	150	27/02/08	सुदाड़ा	189
25	15/02/08	पाटा	198	28/02/08	पाली	210

पदयात्रा के अंत में सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए, व सडक सुरक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार रखे उपरोक्त पदयात्रा से लोगों में सडक सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूकता आई है व लोगों ने सडक सुरक्षा के नियमों के महत्व को समझा।

Mkbojk gr fjQlj dkl

1. परिचय–

1.1 भारतवर्ष की आबादी 100 करोड़ से अधिक है व यातायात काफी अधिक है व आए दिन दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं। जिसका मूल कारण सड़क सुरक्षा नियमों व कानूनों की जानकारी का अभाव है। यदि बच्चों में पूर्व में ही सड़क सुरक्षा के नियमों की सोच विकसित की जाये तो आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।

1.2 संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास, समिति, रानीचौरी विगत एक दशक से उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों मे सामुदायिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं को समझें व अपनी समस्याओं के सक्षम माध्यम तक पहुंचकर पहल करें व समाज जागरूक हो, नियम कानूनों की जानकारी हो, ताकि अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें व समाज में अपना उचित स्थान बना सकें।

1.3 उत्तरांचल को पूर्व से ही देवभूमि का दर्जा प्राप्त है, व पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहां पर दुर्घटनायें अधिक होती हैं तथा जनपद टिहरी गढ़वाल जहां से चार धाम–यमनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ व केदारनाथ जाने हेतु मुख्य मार्ग से जुड़े हुए हैं व इस क्षेत्र के ड्राइवरों की मॉग को मद्देनजर रखते हुए व तथ्यों को महसूस करते हुए सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली को ड्राइवरों हेतु त्मतिमैमत ब्वनतेम आयोजित करने हेतू आवेदन किया, ताकि ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा के नियमों व जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर सकें।

1.4 संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, रानीचौरी (टि0 ग0) को भारत सरकार के पत्र सं0 RT/25017/46/2007-RS कंजमक 2oth November 2007 के आधार पर ड्राइवरों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिससे ड्राइवरों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है, व ड्राइवरों ने अपनी भूमिका को समझते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं व ड्राइवरों की सोच विकसित हुई है।

2.1 if k{k.k d mn ;

- ☞ वर्तमान में ड्राइवरों की भूमिका,
- ☞ ड्राइवरों हेतु सड़क सुरक्षा के विभिन्न प्रतीक चिन्हों की जानकारी,
- ☞ सड़क सुरक्षा के नियमों की सम्पूर्ण जानकारी,
- ☞ बीमा का महत्व,
- ☞ आंखों के परीक्षण का महत्व,

if k{k.k dk;Øek dk fooj.k

Ø0 l0	if'k{k.k dh frfFk		if'k{k.k dk LFkku	if'k{k.kkfFk;k dh l[;k
	dc l	dc rd		
1	01/02/08	02/02/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	45
2	04/02/08	05/02/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	45
3	07/02/08	08/02/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	45
4	11/02/08	12/02/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	45
5	14/02/08	15/02/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	45
6	17/02/08	18/02/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	45
7	20/02/08	21/02/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	45
8	23/02/08	24/02/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	45
9	26/02/08	27/02/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	45
10	28/02/08	29/02/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	45
11	03/03/08	04/03/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	25
12	07/03/08	08/03/08	राड्स प्रशिक्षण सेन्टर	25

प्रशिक्षण कार्यक्रम राड्स प्रशिक्षण केन्द्र रानीचौरी में दिनांक 01/02/08 से 07/03/08 तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य जनपद टिहरी गढ़वाल के बस, टैक्सी ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ–साथ ड्राइवरों की भूमिका के प्रति उन्हे सचेत करना था, संस्था द्वारा ड्राइवरों को प्रशिक्षण हेतू 45व 25 का बैच बनाया गया, पुलिस अधीक्षक जनपद (टि0ग0) को भी प्रशिक्षण में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा अन्य कार्यो में व्यस्त होने के कारण अपने थाना स्टाफ चम्बा को प्रशिक्षण में आमंत्रित किया गया।

Mkbojk dk if k{k.k nus oky s lnHk 0;fDr

1.श्री दिनेश जोशी – उप–मुख्य चिकित्साधिकारी (टि0ग0)
2.सतपाल रावत – पुलिस विभाग, डा0 मनोज चिकित्साधिकारी चम्बा
3.रोशन लाल भट्ट – ड्राइवर
4.वाचस्पति कोठियाल – मैकेनिक
5.सुशील बहुगुणा – अध्यक्ष, ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति,
6.राकेश बहुगुणा – नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

f

u= ijh{k.k

प्रशिक्षण के समापन के उपरांत नेत्र चिकित्सक डा0 मनोज, राजकीय अस्पताल चम्बा, व उप–मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 दिनेश जोशी जी द्वारा सभी ड्राइवरों को नेत्र परीक्षण कराया गया व जिनकी आंखें कमजोर थीं उनका निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण कराया गया व चश्में आदि भी वितरित किये गये।

डा0 जोशी जी द्वारा ड्राइवरों को सुझाव दिया गया कि ड्राइवरों को समय–समय पर नेत्र प्रशिक्षण अवश्य कराना चाहिये अगर नेत्र ज्योति कम हो तो दुर्घटना का कारण होती है।

if'k{k.k e MkDVj u= if'k{k.k djr g;s

समापन में सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत व धन्यवाद संस्था के अध्यक्ष श्री सुशील बहुगुणा जी द्वारा किया गया व उनसे पूछा गया कि प्रशिक्षण कैसे लगा।

सभी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति का धन्यवाद किया गया साथ ही सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय का आभार प्रकट किया गया। जिन्होने ड्राइवरों को प्रशिक्षण आयोजित करने हेतू धन्यवाद अदा किया गया व अंत में 500 ड्राइवरों का दुर्घटना बीमा 100000/–का किया गया, व सत्र का समापन किया गया।

lEi.k LoPNrk dk;dzeA

पेयजल स्वच्छता एंव स्वास्थ्य का परस्पर सम्बन्ध है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एंव स्वच्छता मुख्यतः पेयजल की उपलब्धता एंव उचित स्वच्छता प्रणाली पर केन्द्रित है। भारत जैसे प्रगतिशील देशों में असुरक्षित पेयजल का प्रयोग, मानव मल का असमुचित निवारण असमुचित पर्यावरण स्वच्छता तथा व्यक्तिगत एंव खाद्य स्चच्छता की कमी कुछ मुख्य कारण है। असमुचित स्च्छता व्यवस्था के कारण भी बच्चों में मृत्युदर बढ़ी है। इसी परिपेक्षय में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सी0आर0एस0पी0 भारत सरकार द्वारा सन् 1986 में प्रारम्भ किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों में स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना साथ ही महिलाओं को इज्जत एंव उनकी प्रतिष्ठा देना है।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सी0आर0एस0पी0 में सुधार किया गया एंव मांग आधारित प्रणाली विकसित कर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान टी0एस0सी0 का स्वरूप दिया गया। संस्थान द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा ब्लॉक में कार्य किया गया है। तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2 ग्रामों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

1– पाली

2– कोटीगाड

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निम्न ग्राम सभायें वर्ष 2007–08 में राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयनित किये गये हैं ।

1– साबली।
2– मंज्यूडं
3– जगधार
4– पुरसोलगांव

vulfpr tkfr ckgY; ifj;ktuk

संस्था ग्रमीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य परियोजना टिहरी जनपद के 3 ब्लाकों के 26 गांवों में चलाई गई। अनुसूचित जाति बाहुल्य परियोजना का उद्देश्य निम्नवत है।

1– अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों के चयनित सदस्यों मुख्यतः महिलाओं का क्षमता विकास कर उनके माध्यम से सामाजिक सेवाओं को प्रदत्त करना।

2– सामाजिक सेवाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के परिवारों मुख्यतः महिलाओं को रोजगार प्रदान करना।

ifj;ktuk d vrxr dh tku okyh xfrfof/k;k

1–बॉलवाडी का चयन
2–स्टूडैन्ट स्कार्ट
3–साक्षरता कार्यक्रम
4–स्वास्थ्य कार्यकर्ता
5–महिला नर्सरी

ckyokMh

बच्चों को उनकी माता की अनुपस्थिति में सुरक्षा प्रदान कर उनका स्वास्थ्य व शिक्षा का विकास करना है व बॉलवाडी के माध्यम से बच्चों को खेल खेलना ,बच्चों को नर्सरी के गाने सिखाने बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता को चैक करना ताकि उनका शारीरिक व मानसिक विकास हो सके।

LVMUV LdkV

स्टूडैन्ट स्कार्ट का उद्देश्य जिन गांवों में जूनियर हाईस्कूल व प्राइमरी स्कूल दूर है तथा बच्चे स्कूल दूरी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं उन जगहों पर स्टूडैन्ट स्कार्ट से बच्चों को स्कूल लाने व लेजाने का कार्य करेंगी।

ik< f k{kk dUn

ग्राम शिक्षा समिति प्रत्येक गांव में अशिक्षित महिलाओं का चुनाव करेगी तथा यदि गांव में 03 से अधिक व 25 से कम अशिक्षित महिलाऐं होंगी तो एक साक्षर महिला चुनी जाएगी जो कि अनुसूचित जाति के परिवार से होगी व उसकी न्यूनतम शैक्षित योग्यता आठवीं पास होंगी जिसका प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से प्राप्त होगा।

LokLF; dk;Zd=h

स्वास्थ्य कार्यकत्री यह सुनिश्चित करेगी कि जिस दिन एनम गांवों में भ्रमण करें उस दिन सभी महिलाओं व बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हो जाय जिसमें उसका वजन आदि की जांच हो जाय गॉव की सभी महिलाओं के रिकार्ड रखे कि किस महिला को आयरन व फॉलिक एसिड की दवाईयां प्राप्त हो चुकी हैं। गर्भवती मां का प्रत्येक माह परीक्षण करवाऐं तथा प्रसव सुरक्षित अस्पताल में ही करवायें, प्रसव के बाद दो सप्ताह तक मा का परीक्षण करे व परिवार नियोजन हेतु सलाह दे।

efgyk ulZjh

महिला समूह के माध्यम से ग्राम सभा को नर्सरी खोलने हेतु प्रस्ताव दिया जाय जिसमें महिलाओं को कुल भुगतान रू0 3650 किया जायेगा और महिलाओं के द्वारा नर्सरी तैयार होने पर राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के तहत ग्राम सभा को प्लाट दे सकते हैं जो कि महिला समूहों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

fgeky;h vkthfodk lq/kkj ifj;kstuk

हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना जिसे आजीविका के नाम से जाना जाता है,उत्तरांचल ग्राम्य विकास समिति द्वारा लागू की जा रही है। यह समिति उत्तरांचल सरकार द्वारा पंजीकृत है। परियोजना की समाप्ति तक इस समिति का अधिकार परियोजना लक्ष्य समूह की सामुदायिक संस्थाओं को सौंप दिया जाएगा। आजीविका का कार्य अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि आईफैड की सहायता से किया जा रहा है व आईफैड ने इस परियोजना में विकास कार्यो के लिए कम ब्याज दर पर लम्बे समय के लिए ऋण दिया है।

vkthfodk dk y{;

आजीविका का लक्ष्य कमजोर वर्गो के लिए बेहतर आजीविका के मौकों को बढावा देते हुए उनकी आजीविका को बढाना और आजीविका सुधार से सम्बन्ध रखने वाले संगठनों को और अधिक मजबूत बनाना है।

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी टिहरी गढ्वाल द्वारा टिहरी जनपद के ब्लॉक प्रतापनगर की 3 न्यायपंचायतों मोटणा, भेनगी व पनियाला के 32 ग्रामसभाओं में कार्य किया जा रहा है। आजीविका परियोजना के अंतर्गत किये गये कार्य निम्नलिखित हैं।

परियोजना द्वारा अपनाई गई विधियो का प्रयोग करते हुये विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य योजनाओ द्वारा विपन्नतम व्यक्तियो को सहयोग करना एवं योजनाओ के कियान्वयन हेतु आवश्यक हस्तक्षेप करना।

- परियोजना क्षेत्र मे 224 विकलांगो को चिन्हित किया गया है। परिवारो को चिन्हित कर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओ की जानकारी दी गयी है। व 52 विकलांग प्रमाण पत्र बनाये गये है। व 22 व्यक्तियो की पेंशन सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। व 32 लोगों के पेंशन हेतु कागजात समाज कल्याण विभाग को प्रेषित किये गये हैं।

कैम्पों का विवतण		लाभार्थियों की आर्थिक श्रेणी					योग	Follow up
विवरण	संख्या	I	II	III	IV	V		
जिला स्तरीय विकलांग केम्प	01	05	03	05	02	00	15	➢ 15 विकलांगो के प्रमाण पत्र बनाये गये। ➢ सात विकलांग व्यक्तियो को व्हील चेयर कैलिपर वितरित किये गये ➢ पांच व्यक्तियो को कान की मशीन वितरित की गयी
जिला स्तरीय मानसिक विकलांग केम्प	02	05	02	02	06	01	16	➢ 16 मानसिक विकलांग प्रमाण पत्र वितरित किये गये साथ ही 16 अभिभावकों को कानूनी अभिभावक बनाया गयाण
ब्लाक स्तरीय विकलांग कैम्प	03	02	06	03	02	01	14	➢ 14 व्यक्तियों के विकलांग प्रमाण पत्र बनाये गये।
न्याय पंचायत स्तरीय सामाज कल्याण केम्प	04	35	34	22	46	32	169	➢ 165 लोंगों के विधवा विकलांग कन्या धन योजना के कागजात तैयार कर पैंशन स्वीकृत करवाई गई।।

Cykd Lrjh; lfefr dk vk;kstu

ब्लाक स्तरीय समिति के आयोजन से विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ – साथ परियोजना के साथ अच्छा समन्वय स्थापित हुआ है जो कि आगे चलन परियोजना व परियोजना क्षेत्र के परिवारों हेतु मील का पत्थर साबित होगा।

t.Mj o lkekftd enns&

- बैलो को प्रशिक्षण देने का कार्य पुरूषो द्वारा किया जा रहा है।
- समूह के रजिस्टर भरने मे पुरूष वर्ग द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- वर्मी पिट का विस्तारीकरण अधिकतम पुरूषो द्वारा किया जा रहा है।
- समूहो द्वारा जब शराब बन्दी आन्दोलन चलाया गया तो नवयुवको द्वारा इस आन्दोलन मे पूर्ण सहयोग किया गया।

mikld (SVCC) d lg;kx l mRiknd legk dk dyLVj Lrj ij lxfBr djukA

25 प्रतिशत समूहो को उत्पादक समूह के रूप मे संगठित किया गया है। व (SVCC) के प्रवेश के बाद अन्य उत्पादक समूहो को कलस्टर स्तर पर संगठित कर दिया जायेगा। संस्था के प्रयासो से निम्न उत्पादक समूहो का गठन किया गया है।

1&jkt feL=h;k dk leg%&

- आजीविका परियोजना के अर्न्तगत राजमिस्त्रीयो को भूकम्परोधी भवन निर्माण व हॉलो ब्लॉक निर्माण करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया व प्रशिक्षण के उपरान्त विभिन्न गांव के मिस्त्रीयो का समूह बनाया गया व परियोजना के द्वारा बनाये जाने वाले चारानांद वर्मी पिट का निर्माण इन्ही राजमिस्त्रीयो द्वारा करवाया गया तथा वर्तमान मे भी करवाया जा रहा है।

2&vnjd mRiknd leg &

- आजीविका परियोजना के अर्न्तगत ग्राम बसेली मे अदरक उत्पादन हेतु तीन अदरक उत्पादक समूह बनाये गये जिसमे महिलाओ के द्वारा बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि मे बदल कर अदरक की खेती का प्रदर्शन किया गया जिसमे Land consolidated करके एक ही स्थान पर खेती की गयी।

3&dk;yj enj ;fUkV mRiknd leg&

- आजीविका परियोजना के अर्न्तगत ग्राम रौणिया मे कायलर मदर यूनिट उत्पादक समूह का गठन किया गया। जिसमे समूह द्वारा एक महिला का चयन कर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इसके लिए समूह द्वारा कायलर मुर्गी पालन हेतु मदर यूनिट का प्रदर्शन करके आयसर्जक गतिविधिया की जायेगी जिसके लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गयी है।

4 lCth mRiknd leg& आजीविका परियोजना के अर्न्तगत ग्राम भैगा व जणगी मे महिलाओ का सब्जी उत्पादक समूह बनाया गया है। जिसमे समूह के द्वारा सब्जी का उत्पादन सामूहिक खेती पर किया जा रहा है। तथा सब्जियो का विपणन भी स्थानीय स्तर पर किया जा jgk gSA

5 elj ,oa ljlks mRiknd leg %& आजीविका परियोजना के अन्तर्गत सम विकास परियेाजना के माध्यम से ग्राम भैंगा, मोटणा, बसेली, पथियाणा, आदि में उत्पादक समूह का गठन किया गया है। जिनके द्वारा सामूहिक खेती के माध्यम से उपरोक्त उत्पाद किया जा jgk gSA

Lo;a lgk;rk leg gsrq l{ke foRr iz.kkyh (**Microfinace**) fodkl&

वर्तमान मे नगद साख सीमाओ की स्थिति&

d0 l0	cSd dk uke	cSd dks fn;s x;s iLrko	Lohd`r legks dh lh0lh0,y0	"ks'k leg	Lkh0lh0,y0 /kujkf'k	lhM dSfiVy dh /kujkf'k
1	;fu;u cSd enuuxh	08	08	00	200000-00	17600-00
2	mrjkapy xzkeh.k cSd	58	50	22	120000-00	54550-00

tsaMj lEcfU/kr xfrfof/k;k&

- परियोजना द्वारा समूहो मे 99 प्रतिशत महिलाए समूहो का प्रतिनिधित्व करती है।

- कलस्टर व फेडरेशन गठित करने हेतु जो रणनीति बनायी गयी है। उसमे 100 प्रतिशत महिलाओ को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
- ब्लॉकस्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्याकंन समिति की बैठको मे महिलाओ के कार्यबोझ को कम करने हेतु पुरूषो की भूमिका के साथ–साथ पुरूषो को संवेदनशील करने हेतु करने का प्रयास किया गया हैA

ifj;ktuk xkek e dk;ck> de dju gr xfrfof/k;k dk fd;kfUor djuk&

- परियोजना ग्रामो मे महिलाओ के कार्यबोझ को कम करने हेतु निम्न गतिविधिया क्रियान्वित की जा रही है।

महिलाओ के कार्यबोझ को कम करने हेतु क्रियान्वित गतिविधियो का विवरण

क्र0 स0	क्रियान्वित गतिविधि	परियोजना द्वारा क्रियान्वित किये गये।	कुल विस्तारीकरण	कुल संख्या	महिला	पुरूष	श्रेणीवार परिवारों की संख्या					समय की बचत
							I	II	III	IV	V	
1	चरानांद	51	04	55	23	32	8	19	21	6	1	20 मिनट
2	वर्मी पिट	750	530	1280	990	290	242	289	383	287	89	1/2घण्टे
3	चाराघास	6970	3081	10051	776	8	92	258	250	112	72	1घण्टा
4	प्लास्टिक घडे	400	00	400	400	00	192	112	21	56	09	20मिनट

परिवारो द्वारा वर्मी कम्पोस्ट तकनीकी का अंगीकरण करना–

- परियोजना क्षेत्र के गांव मे 96 प्रतिशत परिवारो के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट तकनीकी को अपनाया गया है। व समविकास परियोजना के द्वारा 100 प्रतिशत परिवारो को वर्मी कम्पोस्ट तकनीकी से जोडा जायेगा। इसके अलावा वर्मी कम्पोस्ट का विस्तारीकरण निम्नवत किया गया है–

घास नर्सरी का विकास तथा चारे की कमी की पूर्ति हेतु उन्नत घास नांद आदि को अंगीकृत करना–

- परियोजना क्षेत्र के अर्न्तगत 68 प्रतिशत परिवार को नैपियर घास वितरित किया गया है। एवं 40 प्रतिशत परिवारो के द्वारा अपने घर के आस–पास चारा घास स्थापित की गयी है।
- 1295 परिवारो को नैपियर घास का वितरण परियोजना के द्वारा किया गया है। व 622 परिवारो के द्वारा अपने घर के आस पास चाराघास की नर्सरी लगायी गयी है। परियोजना क्षेत्र मे टिहरी बॉध बनने के कारण चाराघास की कमी होने से यहां पर अभी 10 ट्रक चाराघास की आवश्यकता है।
- 52 प्रतिशत परिवारो के द्वारा दस–दस नैपियर जडो का विस्तारीकरण कर दिया गया है। तथा 62 प्रतिशत परिवारो के द्वारा चाराघास का दोगुना विस्तारीकरण किया जायेगा।
- परियोजना क्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम सेम ,मोटणा व जणगी मे वन पंचायत की भूमि पर रोजगार गांरन्टी के अर्न्तगत चाराघास का रोपण समूह की महिलाओ के द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए ग्राम प्रधान के द्वारा प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी के पास जमा करवा दिये गये है। संस्था के माध्यम से इस कार्य का मूल्याकंन किया जायेगा।
- परियोजना के द्वारा 51 परिवारो मे चारानांद का निर्माण किया गया है। चारानांद के प्रदर्शन से 4 परिवारो के द्वारा 4 चारानांद का विस्तारीकरण कर दिया गया है। व 50 प्रतिशत परिवारो के द्वारा चारानांद प्रदर्शन से चारानांद का विस्तारीकरण किया जायेगा।

क्र0 स0	कियान्वित गतिविधि	परियोजना द्वारा कियान्वित किये गये।	कुल विस्तारीकरण	कुल संख्या	महिला	पुरूष	श्रेणीवार परिवारों की संख्या				
							I	II	III	IV	V
1	चाराघास	6970	3081	10051	776	8	92	258	250	112	72
2	चरानांद	51	04	55	23	32	8	19	21	6	1

2.4.5–उन्नत कृषि उपकरणो (दरांती,पिरूल ,रेख,कुटले आदि) का अंगीकार–

परियोजना क्षेत्र के अर्न्तगत 62 प्रतिशत परिवारो द्वारा उन्नत कृषि यंत्रो को अंगीकृत कर दिया गया है।जो की निम्नवत है–

- चारानांद–

क्र0 स0	कियान्वित गतिविधि	परियोजना द्वारा कियान्वित किये गये।	कुल विस्तारीकरण	कुल संख्या	महिला	पुरूष	श्रेणीवार परिवारों की संख्या					समय की बचत
							I	II	III	IV	V	
1	चरानांद	51	04	55	23	32	8	19	21	6	1	20 मिनट

- वर्मी पिट–

क्र0स0	कियान्वित गतिविधि	परियोजना द्वारा कियान्वित किये गये।	कुल विस्तारीकरण	कुल संख्या	महिला	पुरूष	श्रेणीवार परिवारों की संख्या				
							I	II	III	IV	V
1	वर्मी पिट	750	530	1280	990	290	242	289	383	287	89

ग्रमीणो को संगठित करना जिससे पालतू पशुओ को चारा,ईधन,पत्तियां, खाद आदि जंगल से लाने हेतु साधा जा सके।

- महिलाओ के कार्यबोझ को कम करने हेतु ग्रामीणो को संगठित किया गया है व वर्तमान में निम्न बैलों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

क्र.सं.	नाम	गांव का नाम	कुल प्रशिक्षित बैलों की संख्या
1	बीर सिंह नवाल	भेनगी	02
2	सोहन सिंह	मोटणा	01
3	सुमति देवी	रौणिया	01
4	अषरूपी देवी	टोखला	02
5	देवकी देवी	टोखला	01
6	विकुला देवी	टोखला	01
7	बिन्दा देवी	टोखला	01
8	पुरूषोत्तम दत्त	टोखला	02
9	सब्बल सिंह	क्ंगसाली	01
10	रजनी देवी	पथियाणा	01

irkiuxj dh jdk iVVh tfod [krh dh vkj vxlj %&

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति द्वारा कार्य किया जा रहा है। यहां पर सामान ढोने का कार्य पूर्ण रूप से घोडे व खच्चरों द्वारा किया जाता है। व यह बहुत कम मात्रा में इस क्षेत्र में

प्रतापनगर की रैका पट्टी जैविक खेती की और काफी तेजी से अग्रसर होती जा रही है जिसमें की पूरी रैका पट्टी में 900 वर्मी काम्पोस्ट पिट का निर्माण किया गया जिसमें की अब लगभग सभी वर्मी पिटों में खाद बन चूकी है जिसमें से अनेक वर्मीयों से खाद का विस्तारीकरण किया जा चुका है। वर्मी कम्पोस्ट खाद बनने से महिलाओं की सोच जैविक खाद के प्रति बनी है अब महिलाएं अपने खेतों में वर्मी कम्पोस्ट खाद का प्रयोग करती है जिससे महिलाओं के कार्य बोझ में भी कमी हुई है। वर्मी कम्पोस्ट खाद बनने से जहां महिलाए पहले कच्चे गोबर को 10–10 झालें एक खेत में डालते थे वही अब महिलाऐ सिर्फ 2–2 झालें प्रयोग करते है जिससे उनके कार्य बोझ कम के साथ–साथ समय की भी बचत होती है।

ftyk fodykax ,o iquokl dUn]ub fVgjhA

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा जिला अस्पताल बौराडी में जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र का संचालन कर रही है व समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकलांगों के पुर्नवास आदि कार्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसके पदेन अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय, उपाध्यक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय व नौडल अध्किारी अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति को बनाया गया है व जिला समाजकल्याण अधिकारी व रेडक्रास समिति इसके सदस्य हैं संस्था के पास विकलांग केन्द्र के संचालन हेतु पी एण्ड ओई , मोबिलिटी इन्स्ट्रक्टर, हियरिंग विशेषज्ञ, मनौवैज्ञानिक अध्यापक,तकनीकी प्रशिक्षक लेखाकार व सहायक हैं। इस वर्ष जिला विकलांग केन्द्र के माध्यम से निम्न कार्य किये गये हैं।

(1) Therapeutic Services delivered Excluding Surgeries Perfoemed-

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	Thopacdically Handicapped	594
2	Mentally Handicapped	28
3	Visully Handicapped	210
4	Hearing Handicapped	676
5	Multiple Handicapped	
	Total-	**1508**

(2) Training related activities- No. of Persons trained

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	Anganwadi worker	36
2	ANN	34
3	Teachers	45
4	Nurses	34
5	Any other	-
	Total-	**149**

(3) Awarensess generation Indicate the Number of visit/ Programmes

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	Preparation and face distribution of written material in local language	45
2	Radio Talk	18
3	T.V. coverage through local network	27

4	Publication of articles in Print Media	52
5	Meeting with parents of disabled children	40
6	Meeting with Parents of Non- disabled children	40
7	Visit to school and addressing teachers Principal and students	57
8	Self help groups	56
9	Others	**-**
	Total-	**335**

(4) Employment/ Facilities concessions

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	Self Employed	05
2	Employed in Govt./Pvt. Sector	28
3	Provided disability dertificate/ concession	-
4	Admission in regular School	5

(5) Broad Activities

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	No. of villages surveyed	100
2	Assessment comps[Through camp approach]	34
3	Follow up camps[Through camp approach]	30
4	No. of Meetings of the DMT	13
5	Any other- Please specity	
	Total-	**177**

,fMi ifj;kstuk d vrxr fodykxk dk fodykx midj.kk dk forj.k

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा भारत सरकार की एडिप परियोजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है जिसका उद्देश्य निम्न है।

1– विकलांगों को निःशुल्क उपकरणों का वितरण।
2– विकलांगों को उपकरणों हेतु सहायता देने वाले विभागों की जानकारी देना।

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल को भारत सरकार के सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं04–25/2007–डीडी–1 दि015/01/2008 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई व संस्था द्वारा टिहरी जनपद के विभिन्न ब्लाकों में विकलांग कैम्पों का आयोजन कर निम्न विकलांग उपकरणों का वितरण किया गया।

D0l0	forfjr lkeku	L[;k
1–	व्हील चेयर	48
2–	ट्राई साइकिल	01
3–	कान की मशीन	522
4–	छड़ी दृष्टिबाधित	158
5	कृत्रिम पैर व हाथ	186

o’k 2007 &08 e: lLFkk }kjk ftyk fodykx dUn d ek/;e l yxk; x; fodykx dEik dk fooj.k

d0 l0	LFkku dk uke	dy dEik dh l[;k
1–	ब्लाक मुख्यालय लम्बगांव प्रतापनगर	01
2–	ब्लाक मुख्यालय थत्यूड,जौनपुर	01
3	ब्लाक मुख्यालय नरेन्द्र नगर	02
4–	ब्लाक मुख्यालय,चम्बा ब्लाक	02
5–	ब्लाक मुख्यालय ,घनसाली ब्लाक	01
6–	समुदायिक स्वास्थय केन्द्र,घनसाली	01
7–	ब्लाक मुख्यालय हिण्डोलाखाल	01
8–	विकास भवन नई टिहरी	02
9–	ब्लाक मुख्यालय जाखणीधार	01
10	ब्लाक मुख्यालय थौलधार	01

xkeh.k fufefr dUnA

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार व हुडको के सहयोग स्थान नागणी में ग्रामीण निर्मिति केन्द्र की स्थापना की गई है। ग्रामीण निर्मिति केन्द्र के उद्देश्य निम्नवत् हैं:–

1– उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए भूकम्प विरोधी तकनीकी भवनों का निर्माण करना।
2– राजमिस्त्रियों को समय–समय पर उच्च तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।
3– हॉलोब्लाक ईटों का निर्माण करना।

ग्रामीण निर्मिति केन्द्र के माध्यम से भूकम्परोधी तकनीकियों का विकास किया जा रहा है जिसमें अकुशल मिस्त्रियों को राजमिस्त्री के साथ –साथ भूकम्प विरोधी भवनों के निर्माण व बरसाती पानी का

टैंक व फैरौसीमेंट सस्ते शौचालयों के निर्माण का प्रशिक्षण भी समय– समय पर दिया जाता रहा है। जिससे कि क्षेत्र में कुशल कारीगरों की संख्या में इजाफा हुआ gSA

bfUnjk efgyk lefdr fodkl ifj;kstuk

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी टिहरी गढवाल द्वारा उत्तराखण्ड महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से ग्राम चम्बा में गठित स्वयं सहायता समूहों के साथ इन्दिरा महिला विकास परियोजना के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इन्दिरा महिला समेकित विकास परियोजना का उद्देश्य निम्न हैं

1- महिलाओं के कार्यबोझ को कम करना।
2- महिलाओं को कृषि व गैर कृषि आधारित प्रशिक्षणों का आयोजन कर पारिवारिक आय में वृद्वि करना।

संस्था द्वारा इन्दिरा महिला विकास परियोजना के माध्यम से निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्पन्न करवाये गये।

1– महिलाओं को कलस्टर विकास प्रशिक्षण।
2– जल व स्वच्छता पर कार्यशालाओं का आयोजन।
3– सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महिलाओं को कलस्टर विकास प्रशिक्षण से समूहों को कलस्टर में जोडना था ताकि महिलायें कलस्टर आधारित गतिविधियों का संचालन कर सकें। व महिलाओं पर कार्य की अधिकता के कारण वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती हैं जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पडता है । व जल स्वच्छता के महत्व को देखते हुए महिलाओं को जल व स्वच्छता का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

महिलायें सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा ले सकें इसलिए महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया व कन्याधन योजना, विधवा, विकलांग, वृद्वावस्था पेंशन की जानकारी महिलाओं को दी गई।

cgjsiu dk jksdu o lko/kkuh gsrq jk’Vh; dk;Zde

संस्था गम्रीण क्षेत्र विकास समिति, रानीचौरी द्वारा बहरेपन की रोकथाम व सावधानी हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नवत थे।

1– जनपद टिहरी के अंतर्गत बहरेपन हेतु जागरूकता।
2– बहरेपन हेतु सावधानी

उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया।

d0l0	fnukd	f kfoj dk LFkku	ifrHkkfx;k dh l[;k

01	1/3/2008	प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र फकोट	42
02	6/3/2008	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चम्बा	54
03	12/3/2008	सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र हिण्डोलाखाल	53
04	14/3/2008	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कीर्तिनगर	51
05	16/03/2008	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,कण्डीसौड	44
06	19/3/2008	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,देवप्रयाग	54
07	20/3/2008	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुल्लर	55
08	28/3/2008	प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र छेरपधार,भेनगी।	55
09	29/3/2008	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,नन्दगांव	63
10	30/3/2008	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,घनसाली	55

Lo.k t;rh Lojktxkj ;ktuk d ykHkkfFk;k gr ifk{k.k dk;de

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा ब्लाक कार्यालय के माध्यम से स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित समूहों के प्रतिनिधियों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण राड्स प्रशिक्षण केन्द्र में सम्पन्न करवाये गये। प्रशिक्षणार्थियों को निम्न प्रशिक्षण सम्पन्न करवाये गये।

1– समूह अवधारणा व लेखा प्रशिक्षण।
2– पशुपालन प्रशिक्षण।
3– बैमौसमी सब्जी उत्पादन प्रशिक्षण।
4– बागवानी प्रशिक्षण।

लाभार्थियों को समूह अवधारण के अंतर्गत बताया गया कि समूह किसे कहते हैं ,अच्छे समूह में क्या–क्या गुण होने चाहिए। समूह व भीड में क्या अंतर है। साथ ही समूह के प्रतिनिधि कैंसे होने चाहिए। व समूह के साथ उनका कैंसा व्यवहार होना चाहिए, समूह अपने झगडों का निपटारा किस प्रकार करें आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

समूह प्रतिनिधियों को पशुपालन पर प्रशिक्षण देते हुए बताया कि पशुओं में क्या–क्या बीमारियां होती हैं व अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन–पोषण कैंसे करें। आदि जानकारी दी गई।
साथ ही बेमौसमी सब्जी उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता हैं व इससे किसानों को क्या–क्या फायदा हो सकता हैं व किन– किन पेडों की नर्सरी लगाकर अच्छी बागवानी स्थापित की जा सकती है व बागवानी से किस प्रकार लाभ कमाया जा सकता हैं

उपरोक्त प्रशिक्षण से समूह प्रतिनिधियों को पशुओं की देखभाल, बैमौसमी सब्जी का उत्पादन, बागवानी प्रशिक्षण से काफी फायदा हुआ है जो कि उनकी आय वृद्वि में मील का पत्थर साबित होगा।

lLFkk }kjk LFkkfir jkMl ifk{k.k d ek/;e l fofHkUu ifk{k.kk dk vk;ktu

संस्था द्वारा स्थान रानीचौरी में वर्तमान वर्ष में राड्स प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है।जिसका उद्देश्य निम्न हैः–

1– टिहरी जनपद में अन्य विभागों/संस्थाओं व संस्था द्वारा गठित समूहों हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन कर प्रशिक्षित करना।
2– विभिन्न कृषि व गैर कृषि प्रशिक्षणों का आयोजन कर आय में वृद्धि करना।
3– प्रशिक्षण से होने वाली आय से विकलांगों हेतु कार्य करना।

वर्तमान वर्ष में राड्स प्रशिक्षण केन्द्र में हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना,उत्तरांचल पर्वतीय आजीविका संवर्धन कम्पनी,घात संस्था पौडी गढवाल, किशोरी शक्ति परियोजना, में किशोरियों को प्रशिक्षण प्रदान किये गये। जिसमें हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना के माध्यम से राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण ,विभिन्न कृषि उत्पादों का प्रदर्शन करवाया गया। साथ ही पर्वतीय आजीविका संवर्धन कम्पनी के माध्यम से हॉलौ ब्लाक्स ईटों का निर्माण, जीवन कौशल व किशोरी शक्ति परियोजना के माध्यम से किशोरी सखियों को जीवन कौशल, स्वास्थ, कैरियर सलाह आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

संस्था के पास प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु कुशल रिर्सोस पर्सन उपलब्ध हैं साथ ही 80 लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। जिसमें महिलाओं व पुरूषों के लिए अलग–अलग हांस्टल हैं। व डबल बैड, मय फर्नीचर, टी0 बी0 उपलब्ध है

le fodkl d ifj;ktuk d vrxr ljdkjh foHkkxk }kjk fd; x; dk;k dk eY;kdu

माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न राष्ट्रीय समविकास योजना की समीक्षा बैठक दि0 5/11/2006 के निर्णय के क्रम में व जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति दि0 20/07/2007 के अनुक्रम में तथा समविकास योजना के अंतर्गत एन0जी0ओ0 की भूमिका सुनिश्चित करने विषयक शासन के निर्देशों के परिपालन में Assessment Study & Bench Mark Survey हेतु माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदया, द्वारा अपने पत्र सं0 819 दि0 31/08/2007 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये।

1& बैचमार्क सर्वे राष्ट्रीय सम विकास योजना के मार्ग निर्देशों में संलग्न प्रारूपों को आधार मानते हुए समस्त कार्यदायी विभागों के स्वीकृत हुये एव स्वीकृत किये जाने वाले समस्त परियोजनाओं को तैयार करना।

2– नाबार्ड द्वारा निर्धारित अनुश्रवण/मूल्यांकन को आधार मानते हुए पूर्ण एवं गतिमान परियोजनाओं का मध्यकालीन मूल्यांकन।

3– बारचार्ट एवं पाई डाईग्राम में विश्लेषण ।

4– समस्त कार्य हेतु बैन्च मार्क तथा मध्यकालीन मूल्यांकन हेतु पृथक–पृथक बुकलेट पांच–पांच प्रतियों में ग्लेज्ड पेपर पर तैयार करना।

5– कार्य करने हेतु अधिकतम 60 दिनों की सीमा निर्धारित की गई थी।
उपरोक्त मूल्यांकन हेत संस्था के स्टाफ द्वारा सरकारी विभागों द्वारा किये गये कार्यो का मौके पर ही मूल्यांकन किया गया। साथ ही उच्च गुणवत्ता, सामान की खरीद फरोख्त सही तरीके से की गई आदि तथ्यों का विस्तृत रूप से आंकलन कर रिपोर्ट तैयार की गई।

lMd lj{kk ,o jktekx e=ky; }kjk **National Highway Accifrnt Relief Service Scheme** d rgr ,Ecyl dk vkcVu

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी टिहरी गढवाल द्वारा सडक सुरक्षा के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम,ड्राइवरों हेतु प्रशिक्षण पर कार्य किया जा रहा है जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा अनेकों जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड नाटक, रैलियों, पदयात्रायें आयोजित की गई हैं।

उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न हैं , यहां पर सडकें टेढी–मेढी व उबड– खाबड हैं व आए दिन भूस्खलन, पहाडों का टूटना मार्ग अवरोध होना आदि समस्यायें होती रहती हैं जिससे कि यहां पर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं व यातायात के साधनों के अभाव के कारण सही समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान भी नहीं हो पाता है। व यदि कोई दुर्घटना होती है तो अस्पताल तक घायल यात्री को पहुंचाने की भी सही व्यवस्था नही हो पाती है।

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए एम्बूलैंस हेतु भारत सरकार के सड्क सुरक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय को आवेदन किया गया।

सड्क सुरक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सत्र आरटी/25016/3/2007 दि0 18/0/2008 के माध्यम से एम्बूलैंस हेतु स्वीकृति प्रदान की गई हैं ।संस्था द्वारा एम्बूलैंस का प्रयाग दुर्घटना के समय घायल यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा हेतु नजदीकी या जहां पर इलाज सम्भव हो सके उस स्थान तक पहुंचाना है।

ty lLFkku o Loty ifj;ktuk d ek/;e l Loi ;ktuk e dk;

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समति रानीचौरी, टिहरी गढ्वाल द्वारा स्वजल व जल संस्थान के माध्यम से स्वैप परियोजना में कार्य किया गया उपरोक्त कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–
1– समुदाय व पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए ग्रामीण जल पूर्ति व स्वच्छता कार्यक्रम को बढावा देना।
2– दूषित जल से होने वाली बीमारियों के प्रति समुदाय को जागरूक कर स्वास्थ्य में सुधार लाना।
3– पर्यावरण सुरक्षा
4– कार्यक्रम की देखरेख हेतु ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करना।

संस्था द्वारा जल संस्थान,नई टिहरी के माध्यम से निम्न गांवों में स्वैप कार्यक्रम चलाया जा रहा है

1– नन्दगांव।
2– दनौली।
स्वजल परियोजना के माध्यम से निम्न ग्राम पंचायतों में स्वैप कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं।

1– बरवालगांव।
2– बन्स्यूंल
3– जामणी।
4– रत्नौ।
5– तिखोन।
6– पिपलेथ।

उपरोक्त परियोजना के माध्यम से संस्था द्वारा ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति का गठन कर समुदाय व पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए ग्रामीण जल आपूर्ति व स्वच्छता कार्यक्रम को बढावा दिया जा रहा है व जलस्त्रोतों की मरम्मत कर गांवों में पानी की सुनिश्चित उपलब्धता के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ सस्ते शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि पानी की सुनिश्चित आपूर्ति के साथ–साथ,स्वच्छता कार्यक्रम चलाये जाने से पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके।

,d voykdu QkVkxkQ d ek/;e l